

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2866 / 2024

दिनांक 28.08.2024


सुश्री निधि शर्मा-II (RJ01075), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 30.06.2024 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश (ग्रीष्मावकाश की निरन्तरता में)।
2. दिनांक 01.07.2024 से 03.07.2024 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश।

सुश्री शर्मा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/63/2016/6778

दिनांक 28.08.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 10845 दिनांक 06.07.2024 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री निधि शर्मा-II (RJ01075), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा)।

  
28/8/2024  
सहायक रजिस्ट्रार